

संचिका संख्या-12/चक0 26(क)-2/2016

अधिसूचना

एस0ओ0 दिनांक बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण
निवारण अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 26(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए नक्शों और अभिलेख तैयार कर लिये जाने और समेकन स्कीम के अधीन रैयतों को अन्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरांत मौजा -समोसर, थाना नं0 468, अंचल-नावानगर, जिला-बक्सर इस अधिसूचना की तिथि से उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन अधिसूचित है, की समेकन संक्रियाएं बन्द की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

 13.01.2026

सरकार के उप सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

एस0ओ0-85/चक0 दिनांक-16/01/2026 /एस0ओ0

दिनांक का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

 13.01.2026

सरकार के उप सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।